दिनांक–20.04.15 का प्रातः 10.30 बजे विकास भवन स्थित कार्यालय कक्ष में प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में संपन्न कंकड़बाग ड्रेनेज प्रणाली की समीक्षा बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः–

	एन.बी.सी.सी.	नगर निगम, पटना	बी.आर.जे.पी., पटना
1.	**श्री टी.एन. के. सिंह,** कार्यकारी निदेशक।	**श्री जय सिंह,** भा. प्र. से नगर आयुक्त।	**श्री सुधीर कुमार सिन्हा,** अधीक्षण अभियंता।
2.	**श्री आर. के. झा,** मुख्य महा प्रबंधक।	**श्री खगेश चन्द्र विश्वास,** मुख्य नगर अभियंता।	**श्री अंकेश कुमार,** कार्यपालक अभियंता।
3.	**श्री देवेन्द्र कुमार,** अपर महा प्रबंधक।	**श्री ललन प्रसाद सिंह,** कार्यपालक अभियंता।	
4.	**श्री अरूण कुमार,** उप परियोजना प्रबंधक।		

सर्व प्रथम प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा एन. बी. सी. सी. प्रधान कार्यालय से आए कार्यकारी निदेशक श्री टी.एन. के. सिंह एवं एन. बी. सी. सी. के बिहार जोन के नये पदस्थापित जोनल अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार का सभी उपस्थित सदस्यों से परिचय कराया गया एवं तदोपरान्त एन. बी. सी. सी. द्वारा निर्मित कंकड़बाग ड्रेनेज योजना के संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन पर मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी।

1. एन. बी. सी. सी. द्वारा हनुमान नगर एवं डिफेन्स कॉलनी पद्यथ मे प्रावधान के आलोक में नाला का निर्माण नही किया गया। एन. बी. सी. सी. के पदाधिकारियों द्वारा बतलाया गया कि नाला निर्माण हेतु पथ निर्माण से अनुमति नहीं मिलने के कारण नाला का निर्माण नहीं किया गया। सड़क के किनारे सड़क के पानी को निकालने के लिए पथ निर्माण विभाग द्वारा नाला बनाया गया हैं, जिसका लेवल नगर निगम द्वारा जांच कर पूर्व से स्थित मेनहोल मे जोड़ा जा सकता है।

2. एन. बी. सी. सी. द्वारा पहाड़ी गाँव के पास लगभग 37 (सैंतीस मीटर) में आउट फॉल चैनल के दिवार का निर्माण नहीं किया गया है। एन. बी. सी. सी. के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि ग्रामीण आर. सी. सी. ब्रिज की मांग कर रहें है, जिसके कारण नाला का पक्कीकरण नहीं किया गया।

   एन. बी. सी. सी. द्वारा बताया गया कि पहाड़ी गाँव के पास गाँव के पुराने मकान को बचाने के लिए 170 मीटर लम्बाई में 5 मीटर ऊँचा 500 मिलीमीटर मोटा राफ्ट फाउंडेशन के उपर रिटेनिंग वाल बनाया गया, जिसका प्रावधान डी. पी. आर. में नहीं था।

3. पहाड़ी स्थित सम्प हाउस में चार पम्प एवं मोटर एन. बी. सी. सी. द्वारा अधिष्ठापित किया गया है, जो वर्त्तमान में कार्यरत है। मौनसून 2014 के समय एन. बी. सी. सी. द्वारा दो पम्प चलाने का प्रयास किया गया लेकिन मात्र 2–3 मिनट से ज्यादा नहीं चल सका।

   कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, कार्य प्रमंडल द्वारा बताया गया कि योगीपुर एवं पहाड़ी सम्प हाउस के लिए साफ्ट स्टार्टर के स्थान पर 440 भोल्ट का स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाने पर जोर दिया, जिससे कि मरम्मति का कार्य स्थानीय स्तर पर हो सके। योगीपुर में 3300 भोल्ट का मोटर एन. बी. सी. सी. द्वारा अधिष्ठापित किया गया है। पहाड़ी सम्प के लिए चाला में ग्रेटिंग नहीं लगाया गया है। सम्प हाउस में ग्रेटिंग लगाने की व्यवस्था की गयी है, जो कि साफ–सफाई के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुचित है।

4. योगीपुर सम्प हाउस के लिए आवट फॉल की व्यवस्था एन० बी० सी०सी० द्वारा की गयी है। पुराने सम्प को नया सम्प से जोड़ने का प्रावधान पूर्व से था। एन० बी० सी० सी० के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि टास्क फोर्स की बैठक में दिये गये सुझाव के आलोक में दोनों सम्प को नहीं जोड़ा गया।

5. प्रधान सचिव द्वारा कार्यकारी निदेशक, एन० बी० सी० सी० को स्थल निरीक्षण के पश्चात डी० पी० आर० में प्रावधान के अनुसार छुटे हुए शेष कार्यो को पूर्ण कराने की दिशा में ठोस कार्य योजना के लिए अवगत कराने का निर्देश दिया गया।

6. स्थल निरीक्षण के उपरान्त एन० बी० सी० सी० के कार्यकारी निदेशक अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ 1.30 बजे अपराह्न पुनः प्रधान सचिव से कार्यालय कक्षमें बैठक की एवं निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपना प्रस्ताव रखे, जिसे सैद्धान्तिक रुप से प्रधान सचिव ने अपनी सहमति दी।

(क) आसन्न मौनसून को ध्यान में एवं शहर की आवश्यकता के आलोक में एन० बी० सी० सी० के द्वारा दिए गये सारे कार्य का जैसा है, जहाँ है (As is, where is) के आधार पर बिहार राज्य जल पर्षद पम्पगृह का प्रभार एवं पटना नगर निगम नाले का प्रभार टेक ओवर करके आवश्यकतानुसार रख–रखाव एवं परिचालन की व्यवस्था करे। क्योंकि NBCC ने साफ बताया कि वे अब कोई कार्य नहीं करा सकते हैं।

(ख) कंकड़बाग ड्रेनेज योजना को सुचारु रुप से चलाने हेतु शेष बचे कार्य जो एन० बी० सी० सी० द्वारा नहीं कराया गया, वैसे नाला से संबंधित कार्य पटना नगर निगम एवं पम्पगृह से संबंधित बिहार राज्य जल पर्षद करायेगा।

एन० बी० सी० सी० द्वारा कराये गये कार्यों का अवयवार विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित करेगा। जिसके आधार पर PMC/BRJP द्वारा जांच कराकर देय/वसूलनीय राशि के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

30/4/15

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास
विभाग।

ज्ञापांक– 2146 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक :– 30/4/15

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित।

30/4/15

प्रधान सचिव।